न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर(जिला श्रीगंगानगर)
कृष्णलाल बनाम महेन्द्र
एफ.आर. प्रकरण संख्या 137/2023(Cis No. 20/2022)

12.03.2026

परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार जालवाल उपस्थित। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस आदेशिका द्वारा परिवादी कृष्णलाल द्वारा प्रस्तुत नाराजगी याचिका का निस्तारण किया जा रहा है।

दौराने–ए–बहस अधिवक्ता परिवादी ने प्रोटेस्ट पिटीशन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किये कि उक्त पत्रावली पुनः नीलगू निशान के सबंध में जांच हेतु भेजी गई थी, लेकिन उक्त पत्रावली के अनुसंधान अधिकारी द्वारा नीलगू निशान के सबंध में कोई जांच नहीं की गई है। उपरोक्त अनवानी मकदमा में अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त मुकदमा की तफ्तीश जारी की गई, लेकिन उक्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा निष्पक्ष से जांच नहीं की गई है तथा उक्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा शुरू से ही उक्त मुकदमा में एफआर देने की नीयत थी, इसलिये उक्त जांच अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की गई है तथा उक्त मुकदमा में परिवादी के स्वयं एवं उनके गवाहों के बयान उनके बोलेनुसार नहीं लिखे गये है तथा अपनी मनमर्जी से तोड मरोड कर बयान लिखे गये है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त मुकदमा में मुलजिमान के साथ मिलीभगत करके एवं राजनैतिक प्रभाव के कारण उक्त मुकदमा में मुलजिमान के खिलाफ अदालत में एफआर पेश कर दी है। अंत में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी कृष्णलाल द्वारा दिनांक 20.04.2020 को एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिसथाना–लालगढ़ जाटान के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि परिवादी की लडकी समेस्ता की शादी सन् 2008 में महेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति जाट निवासी ताखरांवाली के साथ की थी। उस समय उसकी दूसरी पुत्री निर्मला की शादी भी महेन्द्र कुमार के छोटे भाई नरेन्द्र कुमार के साथ की थी। शादी के थोड़े समय तक तो उसकी लड़कियों को ससुराल वालों द्वारा ठीक ठाक रखा, परन्तु

उसके बाद उन्होंने उसकी लड़कियों को दहेज में सामान कम लाने की बात को लेकर तंग–परेशान करने लगे व मारपीट करने लगे। उसकी लड़कियां जब पीहर आती तो तंग–परेशान व मारपीट करने वाली बात उन्हें बताती, इस बाबत उन्होंने कई बार लड़कियों के ससुराल जाकर उनको समझया भी था, कि आप उनकी लड़कियों को तंग व परेशान मत करो, परन्तु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और नगद रूपयों की मांग को लेकर उसकी लड़कियों के साथ अक्सर मारपीट करने लगे। इस पर परिवादी द्वारा दो तीन बार 1 लाख रूपये व पच्चास हजार रूपये देकर उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयास भी किया, रूपये लेने के कुछ समय तक तो लड़कियों को ठीक ठाक रखते, थोडे दिन बाद रूपयों की मांग को लेकर फिर मारपीट करने लग जाते, इसी दौरान उसकी लड़की समेस्ता के एक लड़का अंकुश पैदा हुआ जो आज नौ साल का है। आज से करीब तीन वर्ष पूर्व उसकी लड़की समेस्ता को उसके ससुराल वालों ने अपने घर से अलग कर दिया, अलग होने के उपरान्त उसका दमाद महेन्द्र कुमार व समेस्ता की सास विद्या देवी पीहर से नगद रूपये लाने की मांग को लेकर समेस्ता को ज्यादा तंग करने लगे व समेस्ता की सास व उसका पति महेन्द्र कुमार रोज मारपीट करने लगे। महेन्द्र कुमार अक्सर शराब पीकर समेस्ता के साथ मारपीट करता व दो–दो दिन तक उसे खाना नहीं देते थे। इस बाबत समेस्ता के बताने पर परिवादी ने अपने परिवार के साथ वहां जाकर समझाईस भी की थी, परन्तु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज से करीब सवा वर्ष पूर्व महेन्द्र कुमार व उसकी माता विद्या देवी ने परिवादी की पुत्री समेस्ता को नींद की गोलिया देकर घर में बनी डिग्गी में डाल दिया था परन्तु पानी कम होने की वजह से समेस्ता की जान बच गई। इस घटना के बाद समेस्ता ने परिवादी को फोन किया तो परिवादी व परिवार वाले समेस्ता को अपने घर सुरांवाली ले गये। समेस्ता ने परिवादी व परिवार वालों को बताया कि महेन्द्र कुमार व उसकी माता विद्या देवी रोज मारपीट करते है, जान से मारने की धमकी देते हैं और दोनों ने उसे नींद की गोलिया देकर जान से मारने की नीयत से डिग्गी में डाल दिया था। उपरोक्त बात का पता लगने के बाद परिवादी के परिवार वालों ने सुरावाली में एक पंचायत बुलवाई जिसमें महेन्द्र कुमार व उसकी माता विद्या देवी व उसके परिवार के सदस्य शामिल हुये थे। जब उनको परिवादी परिवार द्वारा समेस्ता को डिग्गी में डालने की बात का उलाहना दिया

तो महेन्द्र कुमार कहने लगा कि अगर नगद रूपये नहीं दोगे तो वे आपकी लड़की को नहीं बसायेंगे। जिस पर परिवादी द्वारा 1 लाख रूपये नगद महेन्द्र कुमार व उसकी माता विद्या देवी को दिये, जिस पर महेन्द्र कुमार व उसकी माता ने कहा की समेस्ता को उनके साथ भेज दो आयंन्दा आगे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर परिवादी के परिवार ने समेस्ता को उनके साथ भेज दिया। दिनांक 15 मार्च 2020 के आस पास समेस्ता ने परिवादी के लड़के जयपाल को फोन कर बताया कि भईया उसका पति व उसकी सास उसे रोज मारपीट करते हैं तथा वे कभी भी उसे जान से मार सकते हैं, जिस पर जयपाल अपने साथ समेस्ता अपने घर सुरांवाली ले आया, यहां पर आने के बाद समेस्ता ने बताया कि उसका पति व उसकी सास रोजाना उसे मारपीट करते है तथा जान से मारने की धमकी देते हैं। समेस्ता ने यह भी बताया की वह बहुत परेशान रहती है। जिस पर परिवादी व परिवादी के परिवार ने महेन्द्र कुमार को फोन पर सुरांवाली बुलाया तो महेन्द्र कुमार तीन अप्रेल को सुरावाली गया परिवादी परिवार द्वारा उसे समेस्ता के साथ मारपीट बाबत् कहा तो महेन्द्र कुमार कहने लगा की आयन्दा समेस्ता को तंग परेशान व मारपीट नहीं करेंगे। जिस पर समेस्ता ने परिवादी से कहा की यह लोग उसे वहां ले जाकर मारपीट भी करेंगे और उसे जान से भी मार सकते है। परन्तु महेन्द्र कुमार ने परिवादी परिवार को पुरा आश्वासन दिया कि एक बार समेस्ता को उसके साथ भेज दो परिवादी परिवार ने महेन्द्र कुमार की बातों पर विश्वास करते हुये उसे महेन्द्र कुमार के साथ उसके ससुराल भेज दिया। दिनांक 05.04.2020 को शाम करीब 6:00 बजे महेन्द्र कुमार ने परिवादी के पुत्र जयपाल को फोन पर सुचना दी की समेस्ता को दौरा पड़ गया है और उसकी हालत नाजुक है। थोड़े देर उपरान्त संजय कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाट निवासी ताखरांवाली ने परिवादी के भतीजे पाला राम को सूचना दी कि समेस्ता की सप्रे पीने से मौत हो गई है। जिस पर परिवादी का भतीजा पाला राम, काशी राम वगैरा उसी रात को ताखरांवाली आये। परिवादी के सिर पर चोटे लगी होने के कारण परिवादी ताखरांवाली नहीं आ पाया। दूसरे दिन दिनांक 06.04.20220 को परिवादी की पुत्री समेस्ता का राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर में पोस्टमार्टम किया जाकर उसका अंन्तिम संस्कार ताखरांवाली में कर दिया और उसके भतीजे पाला राम से एक मर्ग रिपोर्ट समेस्ता के ससुराल वालों द्वारा पुलिस थाना लालगढ में दर्ज

करवा दी थी। परिवादी के भतीजे द्वारा समेस्ता की मृत्यु उपरान्त फोटो ली थी जिसमें समेस्ता के गले पर काफी गहरा नील का निशान है। इसलिये परिवादी को पूर्ण विश्वास है कि उसकी पुत्री की हत्या की गई है। शादी के बाद से ही परिवादी की पुत्री समेस्ता को महेन्द्र कुमार व उसकी माता विद्या देवी नगद रूपयों की बात को लेकर तंग परेशान करते थे व सवा वर्ष पूर्व उन्होंने समेस्ता को मारने की नीयत से समेस्ता को डिग्गी में भी डाल दिया था और अब दिनांक 03.04.2020 को समेस्ता महेन्द्र कुमार के साथ आई थी तो समेस्ता ने भी यह शक जाहिर किया की ये लोग उसे जानसे भी मार सकते हैं। इस प्रकार समेस्ता को महेन्द्र कुमार व उसकी माता विद्या देवी ने या तो समेस्ता की हत्या की है या उसे जानसे मारने की नीयत से जबरदस्ती जहर पिलाया है या उसे जहर पीने के लिए मजबूर किया है। इस बात की पूर्णतः जांच होने पर सही स्थिति सामने आयेगी, इत्यादि।

उक्त तथ्यों के आधार पर थानाधिकारी, पुलिसथाना –लालगढ़ जाटान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 57/2020, धारा 302, 498ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया, बाद अनुसंधान अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू (झूठ) में दिनांक 16.08.2021 को न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर परिवादी अधिवक्ता ने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की और साक्ष्य सरसरी में ए.डब्ल्यू. 01 कृष्णलाल, ए.डब्ल्यू. 02 रामनिवास व ए.डब्ल्यू. 03 काशीराम, ए.डब्ल्यू. 04 पालाराम की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई।

अनुसंधान अधिकारी पुलिसथाना–लालगढ़ जाटान, जिला श्रीगंगानगर की ओर से अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू (झूठ) में इस आशय का पेश किया कि परिवादी कृष्णराम ने अपनी लडकी समेस्ता की शादी सन 2008 में तथाकथित आरोपी महेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल के साथ की थी। उसी समय महेन्द्र कुमार के छोटे भाई नरेन्द्र कुमार की शादी समेस्ता की छोटी बहिन निर्मला के साथ की थी। शादी के दो साल बाद महेन्द्र कुमार अपनी पत्नी सहित अपने माता पिता से अलग होकर दूसरे मकान में निवास करने लग गया था। मृतका समेस्ता के एक लड़का अंकुश उम्र 10 साल है। मृतका समेस्ता पिछले 7–8 साल से दिमागी रुप से परेशान थी, जिसकी सिहाग होस्पीटल श्रीगंगानगर में दवाई चल रही थी, जिसके सम्बध में कागजात शामिल पत्रावली

है। इसलिए समेस्ता का व्यवहार मानसिक रोगी की तरह होने के कारण करीब दो माल पहले समेस्ता ने अपने घर में पानी की डिग्गी में छलांग लगा कर आत्म हत्या करने का प्रयास किया था। घटना से करीब 15–20 दिन पहले मृतका अपने भाई के साथ अपने पीहर सूरांवाली गयी थी। दिनांक 03.04.2020 को तथाकथित आरोपी महेन्द्र कुमार अपनी ससुराल सुरांवाली गया था, वहाँ से मृतका समेस्ता को अपने घर पर लेकर आया था। दिनांक 05.04.2020 को सुबह 9.00 बजे तथाकथित आरोपी महेन्द्र कुमार खाना खाकर खेत चला गया था, मृतक समेस्ता अपने बच्चे के साथ घर पर थी, उसी दिन दोपहर को मृतका का लड़का अपने चाचा नरेन्द्र कुमार के घर खेलने के लिए चला गया था, पीछे घर में मृतका समेस्ता अकेली थी, जिसने किसी समय घर में रखी स्प्रे का सेवन कर लिया था, जिसकी स्प्रे पीने से मौका पर ही मृत्यु हो गयी थी। उसके बाद पड़ौसियों द्वारा मृतका के पति को सूचना देने पर महेन्द्र कुमार घर पर आया था और संरपच के द्वारा अपनी ससुराल में सूचना दी थी। दूसरे दिन मृतका के पीहर पक्ष के व्यक्ति आ गये और मृतका के ताऊ के लड़के पालाराम ने पुलिस को रिपोर्ट पेश कर मृतका समेस्ता की मृत्यु के सम्बध में मर्ग नं. 04/20 धारा 174 सीआरपीसी में दर्ज करवा दी थी, जिस पर मृतका का राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर में पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश वारिसान के सुपुर्द कर दी थी। मृतका की लाश का गांव ताखरांवाली में अन्तिम संस्कार कर दिया था। तथाकथित आरोपीगण महेन्द्र कुमार व विद्या देवी द्वारा मृतका समेस्ता को पूर्व में दहेज की मांग की लेकर तंग परेशान व मारपीट करना नहीं पाया गया है। घटना के दिन मृतका घर पर अकेली थी, जिसकी परिवार के किसी सदस्य के साथ बोलचाल नहीं हुई थी, मृतका समेस्ता मानसिक रुप में परेशान रहती थी, पूर्व में भी डिग्गी में कूद कर उसने आत्म हत्या का प्रयास किया था। इस बार उसने अपने आप घर में स्प्रे पीकर आत्म हत्या कर ली जिसमें तथाकथित आरोपीगण महेन्द्र कुमार व विद्या देवी की कोई भूमिका नहीं पायी गयी है। दिनाक 08.06.2020 की परिवादी के कहने पर मृतका के ससुर कृष्णलाल ने मृतका के लड़के अंकुश उम्र 10 साल के नाम करीब 7 बीघा जमीन गिफ्ट करके लिखा पढ़ी की थी, जिसमें अंकुश का संरक्षक परिवादी कृष्णलाल को रखा है। अनुसंधान से तथाकथित आरोपीगण महेन्द्र कुमार व विद्या देवी द्वारा मृतका समेस्ता को कभी भी दहेज के लिए तंग परेशान व हत्या

करना नहीं पाया है। मृतका समेस्ता की मृत्यु अजखुद स्प्रे पीने से होनी पायी गयी है। मुकदमा परिवादी द्वारा मनगढत कहानी बना कर झूठा दर्ज करवाया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण हाजा में दिनांक 16.08.2021 को एफआर (झूठ) माननीय न्यायालय में पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2021 को प्रकरण में पुनः अनुसंधान हेतु पत्रावली लौटायी गयी। प्रकरण हाजा में वृताधिकारी द्वारा पुनः अनुसंधान कर मृतका समेस्ता के गले पर नीलगू निशान के सम्बध में एम.ओ. से राय प्राप्त की गयी। एम.ओ. ने अपनी राय में there were patterned mark present over anterior aspect of neck (postmortem astefact due to necklace type ornament) as written earliar in post mortem report page no 01 however it is also a matter of investigation and this mark can not couse of death in my opinion अकिंत किया गया है। प्रकरण हाज में वृताधिकारी , वृत ग्रामीण द्वारा अनुसंधान से प्रमाणित माना है कि दिनांक 05.04.2021 को मृतका समेस्ता अपने घर पर अकेली थी तथा उसने स्प्रे पीकर आत्म हत्या की गयी थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तथा एफएसएल रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु जहर पीने से होने की पुष्टि हुई है, दौराने अनुसंधान मृतका की जबरदस्ती जहर पीलाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आया है। इसके अलावा मर्ग संख्या 04/2020 पुलिस थाना लालगढ जाटान में भी मृतका के पीहर पक्ष ने प्रार्थना पत्र देकर मृतका की मृत्यु जहर पीने से होनी बतायी थी, मृतका की सगी बहिन मृतका के देवर नरेन्द्र कुमार के घर पर राजीखुशी बस रही है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोप दहेज मांगने और हत्या करने की बात की पुष्टि नहीं होती है।

अनुसंधान रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में परिवादी साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी ए.डब्ल्यू. 01 कृष्णलाल ने सशपथ कथन किये हैं कि उसकी बेटी समेस्ता की शादी सन 2008 में गावं ताखरावाली के महेन्द्र के साथ हुई। शादी के बाद समेस्ता के पति महेन्द्र व उसके माता–पिता दिये गये दान–दहेज से खुश नहीं थे और दान दहेज कम लाने की बात को लेकर तंग करते थे। जब भी उसकी बेटी पीहर आती तो ये बात उन्हें बताती। इस संबंध में उसने उनको कई बार समझाया परन्तु उन्होंने उसकी नहीं सुनी। उसने कई बार लाख या

पचास हजार रूपये देकर उनको राजी करने की कोशिश की पर वे नहीं माने। उसकी लडकी के एक लडका अंकुश पैदा हुआ जिसकी उम्र 12 साल है। आज से तीन साल पहले उसके पास फोन आया कि आपकी लडकी को दौरा पडता है। उसके चोट लगी होने के कारण उसने अपने मामा का लडका रामनिवास व उसके भतीजे को भेजा। उन्होंने आकर रात को बताया कि लडकी के गले में निशान व उसके कपडे फटे हुए एवं वह मर चुकी है, स्प्रे की बोतल पास में पडी है और उसकी उल्टी की हुई है। उसके पश्चात अगले दिन सुबह उसकी बेटी समेस्ता की लाश राजकीय चिकित्सालय में लेकर गये। उसके भतीजे पालाराम से खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा उसका गांव ताखरांवाली में संस्कार कर दिया। जब उसकी बेटी का बारवाहं था, उसकी सासु विद्या देवी ने कहा कि इसकी तो उन्होंने हत्या कर काम कर दिया है, अब लडके की वे अच्छे घर में शादी कर देगें, ये बात उसके मामा को कही। उसके बाद उसने अदालत में इस्तगासा लगाया। इससे पहले भी उसकी लडकी को नींद कि गोलियां देकर डिग्गी में धकेल दिया जो पानी कम होने के कारण वह बच गई। अब भी इस घटना से पहले समेस्ता को महेन्द्र ताखर लेकर गया और 05.04.2020 को उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मिलीभगत करके उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। गले में निशान बाबत पुलिस ने कहा ये तो ऐसे ही आ गये और पुलिस ने अपने मर्जी से बयान लिखे। इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही करी जावे।

इस प्रकार परिवादी ने परिवाद में अंकित कथनों को दोहराते हुए उसकी पुत्री समेस्ता के साथ दहेज की मांग को लेकर पूर्व में मारपीट करने एवं दिनांक 05.04.2020 को उसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने बाबत् जो कथन किये हैं, उनकी पुष्टि पत्रावली पर परीक्षित अन्य गवाहान ए.डब्ल्यू. 02 रामनिवास, ए.डब्ल्यू. 03 काशीराम व ए.डब्ल्यू. 04 पालाराम ने की है। जबकि परिवादी की पुत्री समेस्ता के ससुराल वालों द्वार यह कथन किये गये कि परिवादी की पुत्री समेस्ता द्वारा स्प्रे पीने से उसकी मृत्यु हुई थी। इस सम्बन्ध में यद्यपि अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट का अवलोकन करे तो उसमें भी परिवादी की पुत्री समेस्ता की मृत्यु स्प्रे पीने से होने व समेस्ता के ससुराल वालों द्वारा हत्या नहीं किये जाने बाबत् तथ्य अंकित है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करे तो पोस्टमार्टम

रिपोर्ट में भी मृतका समेस्ता की मृत्यु स्प्रे पीने से होने बाबत् तथ्य अंकित है, परंतु पत्रावली में संलग्न मृतका समेस्ता की मृत्यु उपरांत लिये गये फोटोग्राफ्स का अवलोकन करें तो फोटोग्राफ्स के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट है कि मृतका समेस्ता के गले पर नीलगू निशान है, हाथों पैरों पर भी नीलगू व चोट के निशान है। इस सम्बन्ध में परिवादी की साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी व परिवादी की ओर से परीक्षित सभी गवाहान ने भी मृतका समेस्ता के हाथ, पैर व गले पर नीलगू के निशान एवं कपड़े फटे हुए देखने बाबत् बताया है, परंतु इस सम्बन्ध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपनी अनुसंधान रिपोर्ट में भी किसी प्रकार का कोई अनुसंधान किया जाना प्रकट नहीं होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतका समेस्ता के शरीर पर आई चोटें एवं नीलगू के निशान के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है, जिससे प्रथम दृष्टया यह दर्शित हो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा दिया गया निष्कर्ष पूर्ण रूप से सही हो। ऐसी दशा में यह प्रकट होता है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृतका समेस्ता की मृत्यु के सम्बन्ध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2021 को मृतका समेस्ता के गले पर नीलगू के निशान के सम्बन्ध में पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु थानाधिकारी, पुलिसथाना–लालगढ़ जाटान को प्रेषित की गई थी और बाद अग्रिम अनुसंधान रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की गई। इस सम्बन्ध में बाद अग्रिम अनुसंधान रिपोर्ट का अवलोकन करें तो उसमें मृतका समेस्ता के गले पर नीलगू निशान के सम्बन्ध में चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट पेश की गई कि there were patterned mark present over anterior aspect of neck (postmortem astefact due to necklace type ornament) as written earliar in post mortem report page no 01 however it is also a matter of investigation and this mark can not couse of death in my opinion अकिंत किया गया है। परंतु इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि चिकित्सा अधिकारी ने अपनी जांच में मृतका समेस्ता के गले में नैकलेस पहनने से नीलगू का निशान होना बताया है, परंतु न्यायालय की राय में मात्र नैकलेस या अन्य आभूषण गले में पहनने से मृतका समेस्ता के शरीर व गले पर जिस प्रकार फोटोग्राफ्स में नीलगू के निशान दर्शित है, ऐसे नीलगू के निशान नैकलेस या अन्य आभूषण पहनने से

आना कत्तई सम्भव नहीं है। यहाँ तक कि मृतका समेस्ता के हाथों व पैरों पर भी चोटें और नीलगू के निशान के सम्बन्ध में भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई राय प्रकट नहीं की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि परिवादी पक्ष की साक्ष्य में परिवादी गवाहान ने मृतका समेस्ता के कपड़े फटे होने के सम्बन्ध में साक्ष्य दी है और फोटोग्राफ्स में भी कपड़े फटे होना दर्शित हो रहा है, जिसके सम्बन्ध में भी अनुसंधान अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कोई तथ्य अंकित नहीं किया है।

ऐसी दशा में पत्रावली पर उपलब्ध सभी गवाहान की साक्ष्य और पत्रावली पर उपलब्ध मृतका समेस्ता के फोटोग्राफ्स से स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया मृतका समेस्ता के शरीर पर मृत्यु से पहले मारपीट और जोर जबरदस्ती किये जाने का तथ्य प्रकट होता है, जिससे मृतका समेस्ता के शरीर पर नीलगू के निशान आना और कपड़े फटे होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। ऐसी दशा में मृतका समेस्ता की मृत्यु प्रथम दृष्टया संदेहास्पद स्थिति में होना प्रकट होता है। अंतः उपर्युक्तानुसार किये गये विवेचनानुसार आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302, 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आगामी कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर प्रथम दृष्टया विद्यमान होने से प्रसंज्ञान लिया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

लिहाजा हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण (1) महेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल, निवासी ताखरांवाली (2) विद्यादेवी पत्नी कृष्णलाल, निवासी ताखरांवाली के विरूद्ध धारा 302, 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन प्रसंज्ञान हेतु पर्याप्त आधार मौजूद होने से परिवादी द्वारा प्रस्तुत नाराजगी याचिका स्वीकार की जाती है एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन को अस्वीकार किया जाकर उक्त अभियुक्तगण **के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 498 ए भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान** लिया जाता है।

प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी द्वारा धारा 204(2)(3)(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता की पालना होने पर उक्त अभियुक्तगण को जरिए जमानतीय वारण्ट 5,000/–रुपए तलब किया जावे।

पत्रावली तलबी मुलजिमान में दिनांक ..... को पेश हो।

SATPAL

Steno Gr.II "authenticate document"
Digitally signed by SATPAL
Date: 2026.03.16 16:18:07 +0530